

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740231

Fax : 0141-2740122

E-Mail : rajfed.agrochem@yahoo.com

TECHNICAL BID

FOR

Supply of Plant protection chemicals F.O.R to KVSS/GSS in Rajasthan

Up to March 2018

Estimated cost Rs. 10 Crore.

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740231

Fax : 0141-2740122

E-Mail : rajfed.agrochem@yahoo.com

INDEX

S.No	Particulars	Page Number
1	NIT	1
2	Application Form	2-3
3	Instruction for Technical Bid <ul style="list-style-type: none">• Scope of Bid• Submission of Bid Application• Details of Fees• Employer Rights• Site Visit	4-6
4	General Instruction to Bidders	7-8
5	Compliance with the code of Integrity and No conflict of Interest	9
6	Declaration by the Bidder	10

(1)

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740231

Fax : 0141-2740122

E-Mail : rajfed.agrochem@yahoo.com

BID NO. RAJFED /AC/ _____

On-line Bids are hereby invited by Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd, Jaipur for supply of Plant protection chemicals F.O.R to KVSS/GSS in Rajasthan up to March 2018 from manufacturers registered with Agriculture Department, Govt.of Rajasthan:

Item No.	Description	Estimated cost (Rs.in Crores)	Bid Security (Rs.in lacs)	Bid Form Cost (In Rs)	Processing Fee (In Rs)	Completion Period
1	Supply of Plant protection chemicals	10.00	20.00	1000	1000	31.03.2018

1. Bid documents may be downloaded and uploaded on website :<http://eproc.rajasthan.gov.in>
2. The cost of bid form is payable in the form of demand draft and the bid security amount shall be given in the form of Demand Draft in favour of, Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd, Jaipur, payable at Jaipur.
3. Processing fee shall be in the form of demand draft in favour of MD, RISL, Jaipur payable at Jaipur.

(2)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि०,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740231
फैक्स नं. 0141-2740122

E-mail : rajfed.agrochem@yahoo.com

आवेदन प्रपत्र

कार्य का नाम : कृषि विभाग, राजस्थान में पंजीकृत निर्माता कम्पनियों से राजफैड के माध्यम से राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कृषि रसायनों की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु ऑन लाईन ई-बिड :

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता
2. फैक्ट्री का पूर्ण पता
3. दूरभाष/मोबाइल नंबर
4. फैक्स नंबर
5. वेब साइट
6. ई-मेल आई.डी.
7. निविदा कार्य संपादन हेतु :
- प्राधिकृत व्यक्ति का नाम व पता
-
8. दूरभाष नं./मोबाइल नं.

(3)

09. वित्तीय बिड में वर्णित F.O.R. Destination एवं अन्य सभी प्रकार के कर समाहित हैं, के लिए फर्म द्वारा अंकित की गई कृषि रसायनों की दरों पर आपूर्ति करने के लिए फर्म बाध्य है ।

10. राजफैड द्वारा आदेश जारी होने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्देशित स्थान पर वांछित मात्रा में कृषि रसायन की आपूर्ति 7 दिवस की जावेगी। इस अवधि में सम्प्रेषण समय भी सम्मिलित हैं।

11. निविदा एवं संविदा में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार्य है ।

12. निविदा के साथ निम्नानुसार वांछित समस्त आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दिये गये हैं:—

1. कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में कृषि रसायन आपूर्ति हेतु पंजीकरण का उत्पादन/मार्केटिंग हेतु वैद्य प्राधिकारपत्र।
2. राज्य से बाहर की उत्पादन/मार्केटिंग कम्पनियों को संबंधित राज्य में उत्पादन का लाइसेन्स एवं राजस्थान में बिक्री का कृषि विभाग (राजस्थान) का लाइसेन्स पत्र।
3. आयकर, पेनकार्ड एवं बिक्रीकर पंजीकरण प्रमाण पत्र।
4. कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
5. कम्पनी द्वारा जारी ऑफर में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधी/अधिकारी का ओथरिटी लेटर मय अधिकृत अधिकारी का नाम, पद, मय कार्यालय का पता एवं दूरभाष सहित।
6. फर्म को राज्य सरकार, उसके नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशापी संस्थाओं द्वारा फर्म के साथ कारोबार/व्यवहार को प्रतिबंधित, निलम्बित अथवा ब्लैक लिस्टेड (Black Listed) नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में घोषणा पत्र। (Annexure – A अनुसार)
7. बिडर द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र। (Annexure – B अनुसार)
8. बिड सिक्यूरिटी, टेण्डर फार्म कोस्ट एवं प्रोसेसिंग फीस (कुल संख्या 3) के डीडी की स्कैन प्रतियाँ।
9. पेस्टीसाइड व्यवसाय का वार्षिक टर्नओवर 50 करोड रु. की पुष्टि हेतु वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने होंगे।

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

(4)

राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि०,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740231
फैक्स नं. 0141-2740122

E-mail : rajfed.agrochem@yahoo.com

तकनिकी बिड हेतु निर्देश

कार्य का नाम : वर्ष 2016-17 में कृषि विभाग, राजस्थान में पंजीकृत निर्माता/विपणनकर्ता कम्पनियों से पौध संरक्षण रसायन की राजस्थान की क.वि.स.स./ग्रा.से.स.स. में एफ.ओ.आर आपूर्ति हेतु।

नियोक्ता का नाम : प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि०, जयपुर

1. बोली का विस्तृत विवरण :

कार्य का विवरण : कृषि विभाग, राजस्थान में पंजीकृत निर्माता/विपणनकर्ता कम्पनियों से पी.पी.केमिकल्स की राजस्थान की क.वि.स.स./ग्रा.से.स.स. में एफ.ओ.आर आपूर्ति हेतु।

S.No	Item	Details
1	कार्य की अनुमानित लागत	10 करोड रू.
2	बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security)	20.00 लाख रू.
4	बोली दस्तावेज शुल्क प्रोसेसिंग फीस	1,000 रू.
5	कार्यावधि	अप्रैल 2017 से मार्च 2018
6	बोली दस्तावेज डाउनलोडिंग अवधि	दिनांक 14.03.2017 को अपरान्ह 01.30 बजे से दिनांक 13.04.2017 को प्रातः 11:30 बजे तक
7	बोली दस्तावेज अपलोडिंग की अन्तिम तिथि	दिनांक 13.04.2017 को अपरान्ह 1.30 बजे तक
8	तकनिकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 13.04.2017 को अपरान्ह 3:00 बजे
9	तकनिकी बिड खोलने का स्थान	राजफैड मुख्यालय, 4, भवानीसिंह रोड, जयपुर
10	वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 19.04.17 को अपरान्ह 3:00 बजे
11	कार्यादेश जारी करने का संभावित माह	अप्रैल, 2017
12	बोली की वैद्यता	तकनिकी बिड खोलने के 90 दिवस तक

2. आवेदन पत्र की प्रस्तुति :

- यह ऑनलाइन ई-बोली प्रक्रिया दो लिफाफा पद्धति पर आधारित होगी, प्रथम लिफाफे अंतर्गत तकनीकी बिड प्रपत्र एवं बोली हेतु **क्रम संख्या 3 के अनुसार** वांछित भुगतान प्रमाण की स्केण्ड प्रतियों एवं सामान्य निर्देशों के क्रम में आवश्यक दस्तावेजों की स्केण्ड कोपियाँ तथा द्वितीय लिफाफे अंतर्गत वित्तीय बिड प्रपत्र अपलोड किये जावेंगे।
- बिड हेतु वांछित समस्त आवश्यक सूचनाएँ एवं वे समस्त दस्तावेज बोली लगाने वाली फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जावें, जो बोली की योग्यता के निर्धारण हेतु आवश्यक हों, के अभाव में असफल घोषित कर दिया जावेगा।
- बोली लगाने वाले द्वारा सही एवं सत्य सूचनाएँ उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बोली निरस्त कर दी जावेगी।
- तकनीकी बिड में सफल रहे बोली लगाने वाले की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

3. शुल्क विवरण :

- बोली दस्तावेज शुल्क राशि ₹0 1,000/- का भुगतान राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि0 के नाम से जयपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जावेगा।
- कृषि रसायन की अनुमानित मांग अनुसार लागत राशि की बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) राशि ₹0 20.00 लाख रु. है। राशि का भुगतान राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि0 के नाम से जयपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जावेगा। कृषि रसायन की अनुमानित राशि में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है, जो ई-बोली लगाने वालों को स्वीकार्य होगी।
- बोली प्रोसेसिंग शुल्क राशि ₹0 1,000/- का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, RISL के नाम से जयपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जावेगा।

4. योग्यता निर्धारण :

- कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में कृषि रसायन आपूर्ति हेतु उत्पादन/मार्केटिंग हेतु वैद्य प्राधिकारपत्र आवश्यक है।
- बोली लगाने वाली फर्म का पेस्टीसाइड व्यवसाय वार्षिक टर्नओवर 50 करोड होना आवश्यक है। जिसकी पुष्टि हेतु फर्म को बलेन्शीट संलग्न करनी होगी।

(6)

- बोली लगाने वाली फर्म जो निलम्बित, प्रतिबन्धित अथवा ब्लेक लिस्टेड है, वे प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगी ।
- सहउद्यम की दशा में राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों की पालना पर ही लागू होंगे ।
- आपूर्ति किये जाने वाले कृषि रसायनों की गुणवत्ता इन्सेक्टीसाइड एक्ट 1968 के अनुसार होगी ।

5. नियोक्ता के अधिकार :

- बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का राजफैड का अधिकार सुरक्षित रहेगा, ऐसा करने का कारण लेखबद्ध किये जावेंगे ।
- राजफैड परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषय वस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिणाम से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावे या प्रतिकार का हकदार नहीं होगा ।

6. साइट विजिट :

- बोली लगाने वाले की स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बोलियों में वर्णित उन समस्त आपूर्ति स्थलों एवं आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण व विश्लेषण स्वयं जाकर करें तदोपरान्त ही बोली प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करें ।

(7)

राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि०,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740231
फैक्स नं. 0141-2740122

E-mail : rajfed.agrochem@yahoo.com

बोली हेतु सामान्य निर्देश

1. ई-बोली में भाग लेने की इच्छुक फर्म का अधिकृत वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीबद्ध होना आवश्यक है। सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार बोली लगाने वाली फर्म के लिए Digital Signature Certificate अनिवार्य है, जो अनुमोदित प्रमाणीकरण संस्था यथा TCS, safecrypt, Ncode etc. से प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी अथवा अन्य सहायता हेतु किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 06.00 बजे के मध्य e-Procurement Cell, RISL में उनके योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर स्थित कार्यालय में अथवा toll free Phone No. 1800.3070.2232 (any time) पर सम्पर्क कर सकते हैं।
2. बोली लगाने वाली फर्म के ऑनलाइन बोली के प्रशिक्षणार्थ e-Procurement Cell, RISL में उनके योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर स्थित कार्यालय में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है, इच्छुक बोली लगाने वाले वहाँ सम्पर्क कर सकते हैं।
3. सशर्त बोली मान्य नहीं होगी।
4. बोली लगाने वाले डिमान्ड ड्राफ्ट के अतिरिक्त बोली से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के दस्तावेज व्यक्तिशः राजफैड कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करें।
5. तकनीकी बिड में सफल रहे बोली लगाने वालों की वित्तीय बिड राजफैड कार्यालय में दिनांक 19.04.2017 को अपराह्न 3.00 बजे खोली जावेगी, जिसकी सूचना उन्हें पृथक से website :<http://eproc.rajasthan.gov.in> पर दी जावेगी।
6. किसी भी बोली या समस्त बोलियों को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार राजफैड के प्रबन्ध निदेशक को होगा।
7. बोली के साथ निम्नांकित दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है, इनके अभाव में बोलियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा :-

1. कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में कृषि रसायनों आपूर्ति हेतु उत्पादन/मार्केटिंग हेतु वैद्य प्राधिकारपत्र।
2. आयकर, पेनकार्ड एवं बिक्रीकर पंजीकरण प्रमाण पत्र।
3. कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
4. कम्पनी द्वारा जारी ऑफर में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधी/अधिकारी का ओथिरीटी लेटर मय अधिकृत अधिकारी का नाम, पद, मय कार्यालय का पता एवं दूरभाष सहित।
5. फर्म को राज्य सरकार, उसके नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा फर्म के साथ कारोबार/व्यवहार को प्रतिबंधित, निलम्बित अथवा ब्लैक लिस्टेड (Black Listed) नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।(Annexure – A अनुसार)
6. पेस्टीसाइड व्यवसाय का वार्षिक टर्नओवर 50 करोड रु. आवश्यक हैं।
7. बिडर द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र। (Annexure – B अनुसार)

(8)

8. बोली प्रपत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में ही भरा जावे।
9. ब्लैक लिस्टेड (Black Listed) फर्म बोली में भाग लेने के लिए अयोग्य (Disqualified) होगी। उनकी बोली प्रतिभूति राशि जब्त की गई हो, ऐसी फर्म भी इस बोली में भाग लेने हेतु अयोग्य होगी तथा ऐसी फर्म से प्राप्त बोली पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।
10. बोली दस्तावेज शुल्क राशि एवं बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) के भुगतान के डिमाण्ड ड्राफ्ट्स राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि० के नाम जयपुर में भुगतान योग्य तथा प्रोसेसिंग फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट MD, RISL, के नाम जयपुर में भुगतान योग्य होने चाहिए। बोली लगाने वाले को बोली दस्तावेज शुल्क, प्रोसेसिंग फीस, प्रतिभूति राशि का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट्स के माध्यम से करना होगा एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी बोली के साथ अपलोड करनी होगी तथा इनके मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट्स दिनांक 13.04.2017 को अपराह्न 11:00 बजे तक राजफैड मुख्यालय में व्यक्तिशः जमा कराना सुनिश्चित करें, इनके अभाव में बिड स्वीकार्य नहीं होगी। तकनिकी बिड दिनांक 13.04.2017 को अपराह्न 3:00 बजे खोली जावेगी।
11. बोली लगाने वाली फर्म के गठन के स्वरूप में किसी भी परिवर्तन की सूचना फर्म द्वारा राजफैड कार्यालय को 07 दिवस में आवश्यक रूप से देनी होगी तथा ऐसे परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से मूल फर्म को मुक्त नहीं किया जायेगा।
12. बोली लगाने वाला अपनी बोली अथवा उसके किसी भाग को ना तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न ही सबलेट कर सकेगा।
13. कम्पनी द्वारा राजफैड/समिति को वांछित मात्रा में एवं बताये गये स्थानों पर पौध संरक्षण रसायन इन्सेक्टीसाइड्स एक्ट 1968 के प्रावधानों के अन्तर्गत सप्लाई किया जावेगा तथा डिस्पेच के पूर्व कम्पनी की फैक्ट्री की प्रयोगशाला में सेम्पल टेस्ट करवाना होगा तथा जाँच के पश्चात् गुणवत्ता के मापदण्डों के अनुरूप सही पाये जाने पर ही आपूर्ति की जावेगी। आपूर्ति कृषि रसायन की गुणवत्ता की समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कम्पनी की होगी।
14. कृषि विभाग द्वारा समिति/फैक्ट्री एवं फील्ड से लिये गये कृषि रसायन के नमूने को यदि अमानक घोषित कर दिया जाता है तो उसके लिये फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। इस संबंध में यदि किसी समिति/राजफैड के खिलाफ न्यायालय में किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उस वाद में समिति/राजफैड द्वारा किये गये समस्त व्ययों का भुगतान संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जावेगा।

(9)

Annexure - A : Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in procurement process shall –

- a. not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- b. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- c. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- g. disclose conflict of interest, if any; and
- h. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. Have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. The Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid with result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

DECLARATION BY THE BIDDER

In relation to my/our Bid submitted to Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd Jaipur (RAJFED) For supply of Plant protection chemicals FOR to KVSS/GSS in Rajasthan in response to their Notice Inviting Bids No..... dated..... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay any such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons “.
4. I/We do not have, and our Directors and Officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three year preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Documents, which, materially affects fair competition;
6. I/We have visited the supply sites and fully acquainted myself/ourselves with the local situation regarding materials, labour and other factors pertaining to the work before submitting the tender of RAJFED regarding supply of Plant protection chemicals FOR to KVSS/GSS in Rajasthan.
7. I/We have carefully studied the instructions, conditions of contract and other documents of this work and I/We agree to execute the work accordingly.

Date:

Place:

Signature of Bidder :

Name :

Designation :

Address :

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740231

Fax : 0141-2740122

E-Mail : rajfed.agrochem@yahoo.com

FINANICAL BID

FOR

Supply of Plant protection chemicals F.O.R to KVSS/GSS in Rajasthan

Up to March 2018

Estimated cost Rs. 10.00 Crores

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740231

Fax : 0141-2740122

E-Mail : rajfed.agrochem@yahoo.com

INDEX

S.No	Particulars	Page Number
1	Terms & Conditions of Contract	01-03
2	Bid of Rates	04-17

राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि०,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740231
फैक्स नं. 0141-2740122

E-mail : rajfed.agrochem@yahoo.com

बोली की शर्तें

1. कृषि रसायनों की दरें कृषि रसायनवार, पैकिंगवार एफओआर डेस्टिनेशन प्रस्तुत करनी होंगी। जिसकी अवधिपार तिथि एक वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
2. बोली लगाने वाली फर्म जिसकी बोली स्वीकार की गई है, उसे राजफैड का पत्र प्राप्त होने के 10 दिवस में एक अनुबंध पत्र राजफैड के साथ निष्पादित करना होगा।
3. प्रत्येक कम्पनी को राजफैड द्वारा आपूर्ति हेतु दिये गये आदेश की दिनांक से सात दिवस के अन्दर कृषि रसायनों की आपूर्ति करनी होगी। यदि कम्पनी द्वारा कृषि रसायन आपूर्ति के दिये गये आदेशों के विरुद्ध सात दिवस में आपूर्ति नहीं की जाती है तो निम्न स्लेब अनुसार कम्पनी द्वारा कृषि रसायन की विलम्बित आपूर्ति के मूल्य में से पेनल्टी क्षतिपूर्ती राशि की कटौति की जावेगी :-

1. आदेश दिनांक से 7 दिवस तक	—
2. आदेश दिनांक के 8 दिन से 10 दिन तक	5 प्रतिशत
3. आदेश दिनांक के 11 दिन से 12 दिन तक	7.5 प्रतिशत
4. आदेश दिनांक के 13 दिन से 15 दिन तक	10 प्रतिशत

5. यदि किसी कम्पनी द्वारा राजफैड के कृषि रसायन आपूर्ति हेतु दिये गये आदेश के विरुद्ध 15 दिवस में कृषि रसायन की आपूर्ति नहीं की जाती है तो राजफैड को यह अधिकार होगा कि वह उस माँग की आपूर्ति रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य किसी कम्पनी से करवा सकता है जिसमें देय अन्तर की राशि कम्पनी को वहन करनी होगी।
4. कृषि रसायन आपूर्ति के आदेश राजफैड मुख्यालय, जयपुर द्वारा समितियों की माँग के अनुरूप संबंधित कम्पनियों को दिये जावेंगे। क्षेत्रीय कार्यालयों/समितियों द्वारा माँग राजफैड मुख्यालय को भिजवायी जावेगी।
5. आपूर्तिकर्ता कम्पनी को राजफैड द्वारा कृषि रसायन आपूर्ति की राशि का भुगतान संबंधित समितियों से प्राप्त होने के पश्चात् किया जावेगा। इस हेतु आपूर्तिकर्ता कम्पनियों द्वारा निम्न सूचनायें/प्रपत्र संलग्न किये जाने होंगे:-
 1. बिलों के साथ समितियों को माल के सही हालत में प्राप्त होने संबंधी सूचना/पुष्टी पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
 2. बिल के साथ माल आपूर्ति से पूर्व में फैक्ट्री प्रयोगशाला की सेम्पल टेस्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी होगी।
 3. राजफैड की अनुमोदित दर से कम दर पर राज्य में किसी भी एजेन्ट/डीलर को कृषि रसायन की आपूर्ति नहीं गयी है, इस आशय का प्रमाण पत्र फर्म द्वारा प्रत्येक बिल पर देना होगा।
6. स्वीकृत कम्पनी द्वारा सहकारी/सरकारी क्षेत्र एवं समितियों को राजफैड के माध्यम से ही कृषि रसायन की आपूर्ति की जावेगी। किसी कम्पनी द्वारा सीधे समितियों को कृषि रसायन की आपूर्ति नहीं की जावेगी। यदि किसी कम्पनी द्वारा ऐसा न करते हुये सीधी आपूर्ति की जाती है तो उस आपूर्ति मात्रा का भुगतान राजफैड स्तर से नहीं किया जावेगा साथ ही उस कम्पनी से किया गया रेट कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।
7. किसी कारणवश कृषि रसायन अवितरित रहने से अवधीपार हो जाने की स्थिति में, अवधीपार रसायन वापस लेना होगा एवं बदले में नया कृषि रसायन देना होगा।

(2)

8. आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा राजफैड की अनुमोदित दरों से कम दरों पर बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को कृषि रसायन का विक्रय नहीं किया जावेगा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र उनके द्वारा प्रत्येक बिल के साथ दिया जावेगा। यदि कम्पनी द्वारा राजफैड द्वारा अनुमोदित दरों से कम दरों पर बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को कृषि रसायन का विक्रय करना पाया गया तो कम्पनी को घटी हुई दर के हिसाब से ही भुगतान किया जावेगा। घटी हुई दरों की सूचना कम्पनी/फर्म तुरन्त राजफैड को उपलब्ध करवायेगी। यदि कम्पनी/फर्म स्वतः ही इसकी सूचना नहीं देती है व तत्पश्चात् राजफैड के ध्यान में आता है कि राजफैड से कम दर पर कृषि रसायन आपूर्ति की गई है तो उस कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड करते हुये उसके माध्यम से किया जा रहा व्यवसाय समाप्त कर दिया जावेगा एवं जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. कृषि विभाग द्वारा समिति/फैक्ट्री एवं फील्ड से लिये गये कृषि रसायन के नमूनों को यदि अमानक घोषित कर दिया जाता है तो उसके लिये फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। इस संबंध में यदि किसी समिति/राजफैड के खिलाफ न्यायालय में किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उस वाद में समिति/राजफैड द्वारा किये गये समस्त व्यय का भुगतान संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जावेगा।
10. पाउडर/तरल कीटनाशक रसायन की आपूर्ति मांग अनुसार चाही गयी पैकिंग में की जावेगी। क्षतिग्रस्त पैकिंग को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
11. बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) निम्न मामलों में जब्त करने का राजफैड को पूर्ण अधिकार होगा :-
 - (i) यदि बोली लगाने वाली फर्म की बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकृत करने से पूर्व बोली लगाने वाली फर्म प्रस्ताव वापस लेती है, या उसमें परिवर्तन प्रस्तावित करती है।
 - (ii) यदि बोली लगाने वाली फर्म/बोलीदाता निर्धारित समयावधि में संविदा पत्र निष्पादित करने में असफल रहती है।
 - (iii) बोली लगाने वाली फर्म द्वारा बोली के साथ गलत/असत्य तथ्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्थिति में।
 - (iv) कम्पनी द्वारा सहकारी/सरकारी क्षेत्र एवं समितियों को राजफैड के अतिरिक्त सीधे ही आपूर्ति किये जाने की स्थिति में।
 - (v) राजफैड की स्वीकृत दरों से कम दरों पर बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को कृषि रसायन आपूर्ति किये जाने की स्थिति में।

(3)

12. बिड प्रतिभूति राशि का पुनर्भुगतान वित्तीय वर्ष/अनुबंध अवधि की समाप्ति पश्चात कार्य संतुष्टि पर किया जावेगा तथा इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
13. किसी भी प्रकार के मतभेद उत्पन्न होने पर प्रबन्ध संचालक, राजफैड का निर्णय अंतिम होगा जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा।
14. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इन्हीं शर्तों एवं अनुमोदित दरों पर संविदा अवधि में अभिवृद्धि की जा सकेगी।
15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल जयपुर होगा।
16. प्रथम अपिलीय अधिकारी कमेटी अध्यक्ष होंगे।
17. द्वितीय अपिलीय अधिकारी प्रबंध संचालक, राजफैड होंगे।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर